आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 156 / 2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

16/06/2021

दाता नारायण सिंह, पिता–रामशरण सिंह, ग्राम–करहरी, थाना–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के मध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
41	81	10 धूर	उत्तर–नीज दक्षिण–सड़क पूरब– वेयादर यादव पश्चिम–अन्नत सिंह यादव

मौजा– खोजन, थाना नं०–183, थाना–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से दाता को खास एवं आम नोटिस निर्गत किया गया तथा नोटिस तामिला कराया गया अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। अंचल अधिकारी करपी के द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जमाबंदी रैयत महेन्द्र सिंह, पिता–सूर्य सिंह को भी नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी करपी से जमावंदी धारक का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ एवं जमाबंदी धारक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और ना.ही किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में आपति दर्ज किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि महेन्द्र सिंह, पिता–सूर्य सिंह के नाम से जमावंदी है, जो भूदाता का दामाद है। वर्तमान में जमावंदी धारक कब्जा में है। भूमि धनहर है जिसका कुल रकवा 0.46 डी0 हैं। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, आम, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान दान वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि भूमि वितरण जॉच आयोग वैसे दान पत्र जिसमें खाता सख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे दान पत्रों की संपुष्टि की जायेगी।

इस प्रकार भूदाता एवं जमावंदी धारक द्वारा अपना पक्ष नही रखा गया। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान अधिनियम 1954 की धारा 11 (5) के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

16/06/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

16/06/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।